"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2013—श्रावण 9, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 6563/डी. 234/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं

अध्याय-दो

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, विनिर्माता, व्यवहारी एवं क्रेता के अधिकार तथा कर्तव्य

अध्याय-तीन

अपील एवं पुनरीक्षण

अध्याय-चार

अपराध एवं शास्ति

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 24 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य में एसिड के विक्रय, आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये तथा उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एसिड" में सम्मिलित है ऐसा कोई पदार्थ, जो अम्लीय या क्षयकारी या तप्त प्रकृति का हो, जो ऐसी शारीरिक क्षति, निशान या विरूपण (कुरूपता) या अस्थायी या स्थायी अपंगता पहुंचाने हेतु पर्याप्त हो;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 13 के अधीन अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी;

(ग) "थोक मात्रा" से अभिप्रेत है ऐसी मात्रा, जो राज्य शासन द्वारा विहित की जाए;

(घ) "व्यवहारी" से अभिप्रेत है एसिड के क्रय या विक्रय का व्यापार करने वाला ऐसा व्यक्ति, चाहे वह थोक या खुदरा या वितरक के रूप में हो तथा जो किसी अन्य व्यापार से संबंधित हो या न हो तथा उसका प्रतिनिधि;

(ङ) "वितरक" से अभिप्रेत है एसिड का वितरक या उसका अभिकर्ता या विनिर्माता द्वारा उसके एसिड को व्यवहारी को विक्रय करने के लिए संग्रहित करने हेतु नियुक्त संग्रहक;

(च) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(छ) "व्यापार करना" से अभिप्रेत है परीक्षण करना, तैयार करना, पैकेजिंग, संग्रहण, वाहन द्वारा परिवहन, उपयोग, एकत्रीकरण, नष्टीकरण, परिवर्तन, विक्रय हेतु प्रस्ताव, एसिड जैसी वस्तु का अंतरण;

(ज) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी;

(झ) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में एसिड का निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ञ) "प्रभारी व्यक्ति" से अभिप्रेत है संस्थान, उद्योग, कंपनी या फर्म का प्रमुख एवं इसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जो ऐसे संगठन के प्रतिदिन के व्यापार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हों;

(ट) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ठ) "क्रेता" से अभिप्रेत है एसिड के विनिर्माता या व्यवहारी से सीधे एसिड क्रय करने वाला व्यक्ति तथा इस धारा के खण्ड (त) के अन्तर्गत एसिड के प्रयोग के लिए संग्रहण एवं उपयोग करने वाला एवं इसमें सम्मिलित हैं, उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी, अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जिसे एसिड उपयोग हेतु सौंपा जाये;

(ड) "खुदरा विक्रेता" से अभिप्रेत है ग्राहकों को एसिड का खुदरा विक्रय करने वाला व्यवहारी;

(ढ) "विक्रय" से अभिप्रेत है थोक या खुदरा व्यापारी द्वारा एसिड का एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को नगद या उधार द्वारा या विनिमय के माध्यम से अंतरण एवं इसमें सम्मिलित हैं विक्रय की संविदा, विक्रय की प्रस्थापना एवं विक्रय की जोखिम;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(त) "उपयोग" से अभिप्रेत है एसिड के संबंध में, एसिड का चिकित्सा संबंधी, शैक्षणिक, औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग, इसमें सम्मिलित हैं स्वर्णकारी, चिकित्सीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए उपयोग;

(थ) "थोक व्यापारी" से अभिप्रेत है व्यवहारी या उसके अभिकर्ता या विनिर्माता द्वारा नियुक्त संग्रहक या उसके एसिड के खुदरा व्यापारी, अस्पताल, औषधालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक या अनुसंधान या अन्य कोई संस्थान, जो थोक मात्रा में एसिड क्रय करते हैं, को विक्रय हेतु आयातक.

अध्याय-दो
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, विनिर्माता, व्यवहारी एवं क्रेता के अधिकार तथा कर्तव्य

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य शासन के किसी राजपत्रित अधिकारी को, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है; एवं

(ख) ऐसी सीमाओं को परिभाषित करेगी, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

एसिड के उपयोग पर प्रतिबंध.

4. कोई व्यक्ति चिकित्सा संबंधी, शैक्षणिक, औद्योगिक, जिसमें धातुशिल्प एवं हस्तशिल्प, चिकित्सीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक प्रयोजन सम्मिलित हैं, के सिवाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिभाषित एसिड का उपयोग नहीं करेगा.

एसिड के व्यवहारी एवं विनिर्माता द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना.

5. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात् या प्रथम बार एसिड के व्यवहारी या विनिर्माता बनने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, एसिड का कोई भी व्यवहारी या विनिर्माता, सिवाय इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उसके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति से ही एसिड का संचय, संग्रहण, परिवहन, एसिड के विक्रय के व्यापार का संचालन अथवा जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यवहारी या विनिर्माता, जिसकी एसिड के व्यवहार के संबंध में चाहे उसी शहर या ग्राम या विभिन्न शहरों या ग्रामों में एक या अधिक खुदरा दुकान है, वह ऐसी प्रत्येक खुदरा दुकान के संबंध में पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन.

6. (1) कोई व्यवहारी या विनिर्माता, जो अंतिम पूर्ववर्ती धारा में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित में ऐसे प्ररूप और रीति में अनुज्ञप्ति शुल्क सहित आवेदन करेगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु, ऐसी जांच करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे एवं यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं—

(क) यह कि एसिड के व्यवहारी या विनिर्माता एसिड, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, के उचित एवं सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं व्यापार हेतु उपयुक्त है;

(ख) यह कि आवेदक एसिड के व्यापार को संचालित करने वाली ऐसी दुकान का प्रबंधन करने के लिये सक्षम है;

(ग) यह कि आवेदक द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किया गया है;

(घ) यह कि आवेदक ऐसी अन्य शर्तों को पूर्ण करेगा या पूर्ण करने का आश्वासन देगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एसिड के उचित एवं नियंत्रित विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किया जाये; एवं

(ङ) यह कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है एवं स्वस्थ्य चित्त का है,

तो निरीक्षण पूर्ण करने के पश्चात्, आवेदन की तारीख से एक माह के अन्दर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा एवं यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् एवं अस्वीकार करने हेतु कारणों का संक्षिप्त कथन दर्ज करने के पश्चात्, वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार कर सकेगा एवं ऐसे कथन की एक प्रति आवेदक को प्रदान करेगा.

(3) इस धारा में प्रदान की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति, ऐसी अवधि के लिये वैध होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन किये जाने पर तथा ऐसे शुल्क के भुगतान एवं ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, ऐसी कालावधि के लिये, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नवीनीकरण करेगा एवं जहां अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करेगा, वहां वह ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त कथन दर्ज करेगा एवं उसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान करेगा :

परन्तु जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता, तब तक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करने का आदेश नहीं दिया जायेगा.

अनुज्ञप्तिधारक के कर्तव्य.

7. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक—

(क) केवल ऐसे प्रकार के एसिड के परिवहन, संग्रहण, व्यापार एवं विक्रय का वचन देगा, जो अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट है;

(ख) राज्य शासन द्वारा विहित अनुसार प्ररूप में अभिलेख संधारित करेगा;

(ग) सदैव डिब्बे पर सहज दृश्य रीति से पृथक चिन्ह एसिड के वैज्ञानिक नाम उसके स्थानीय नाम, यदि कोई हो, सहित विनिर्दिष्ट करेगा.

(घ) ऐसी सूचनाओं सहित ऐसी समय-सीमा में ऐसे प्ररूप में विवरणी या विवरण संधारित एवं प्रस्तुत करेगा, जैसी कि विहित की जाये.

8. एसिड का प्रत्येक क्रेता— **क्रेता का कर्तव्य.**

(क) इस अधिनियम के अधीन केवल वैध अनुज्ञप्ति धारक से ही एसिड क्रय करेगा;

(ख) इस अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के सिवाय, क्रय किये गये एसिड का उपयोग नहीं करेगा;

(ग) प्रारंभिक स्कंध से प्राप्त एसिड की मात्रा के विवरण, दैनिक खपत एवं अंतिम स्कंध को दर्शाते हुए अभिलेख संधारित करेगा.

(घ) नियमित अन्तराल में एसिड के संग्रहण एवं संचालन पर नजर रखेगा.

9. उद्योग का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति या इस अधिनियम के अंतर्गत एसिड क्रय करने वाला कोई संस्थान, एसिड के उपयोग, संग्रहण एवं व्ययन के लिये उत्तरदायी होगा एवं धारा 8 के प्रावधानों का पालन करेगा. **प्रभारी व्यक्ति के कर्तव्य.**

10. (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीनीकृत किसी अनुज्ञप्ति को, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर निलंबित या निरस्त कर सकेगा, अर्थात् :— **अनुज्ञप्तियों को निरस्त या निलंबित करने की शक्ति.**

(क) यह कि वह दुकान पर अपने नियंत्रण से पूरा या हिस्से में अलग हो गया है या उसने अन्यथा ऐसे व्यापार का संचालन या एसिड का धारण बंद कर दिया है.

(ख) वह इस निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर, बिना उचित कारण के ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करने में असफल रहा है;

(ग) वह यथा विहित अभिलेख संधारित करने में असफल रहा हो;

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखाओं का संधारण करने या कोई विवरणी प्रस्तुत करने में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के लोप करता है;

(ङ) यह कि वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं विधिपूर्ण निर्देशों या अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों का बिना उचित कारण के पालन करने में असफल रहता हो या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो;

(च) या ऐसे किन्हीं अन्य आधारों पर, जैसा कि विहित किया जाये.

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन अंतरिम रूप से, अंतिम आदेश के पारित होते तक, अनुज्ञप्ति को निलंबित रख सकेगा.

(3) उप-धारा (1) के अधीन अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, जिन आधारों पर अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है, उन सभी आधारों की जानकारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को देगा एवं उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(4) उप-धारा (1) या (2) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति, अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल संप्रेषित की जायेगी एवं उसकी दुकान के बाहरी दरवाजे या दुकान के सर्व-साधारण को दर्शनीय सहज दृश्य भाग पर, चस्पा की जायेगी.

11. अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस करेगा तथा तत्पश्चात् वह एसिड का परिवहन, संग्रहण, व्यापार एवं विक्रय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा : **अनुज्ञप्ति की वापसी.**

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, ऐसी समाप्ति, निलंबन या निरस्तीकरण के पश्चात् व्यवहारी या विनिर्माता को, एसिड के व्यापार के परिसमापन हेतु समर्थ बनाने के लिए, ऐसा युक्तियुक्त समय देगा जो कि पन्द्रह दिवस से अधिक न हो.

अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति. 12. यदि किसी व्यवहारी या विनिर्माता को जारी की गयी अनुज्ञप्ति खो जाती है, नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, ऐसा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर, जैसा कि विहित किया जाये, अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करेगा.

अध्याय-तीन
अपील एवं पुनरीक्षण

अपील. 13. (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी, निर्धारित कालावधि के अवसान होने पर भी, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण था.

(2) अपीलीय प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

पुनरीक्षण. 14. (1) शासन, अपीलीय आदेश से व्यथित व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण के लिये आवेदन किये जाने पर या स्वयं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे प्रकरण का अभिलेख परीक्षण के लिये मंगा सकेगा तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि वह उचित समझे :

परन्तु राज्य शासन, आदेश जिसके विरुद्ध अपील लंबित है, के संबंध में, इस धारा के अधीन उसको प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि राज्य शासन, इस धारा के अधीन ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, पारित नहीं करेगा, जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा.

अध्याय-चार
अपराध एवं शास्ति

अपराध एवं शास्ति. 15. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन यदि पूर्व में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो एवं पश्चात् में इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता हो, तो वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता हो, तो वह कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

कंपनी द्वारा अपराध.

16. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किये जाने के समय, उस कंपनी का भारसाधक था और साथ ही उस कंपनी और उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, को ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और धारा 15 के अधीन अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिये दायी होगा :

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता का पालन किया था.

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कपंनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंधन के किसी सदस्य या कंपनी के किसी कर्मचारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह अपराध उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ है, वहां ऐसे व्यक्ति, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और धारा 15 के अधीन वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने के दायी होंगे.

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें सम्मिलित है, कोई फर्म, एकल स्वामी या व्यक्तियों का कोई संगठन, जो एसिड का व्यापार कर रहे हैं.

न्यायालय का क्षेत्राधिकार.

17. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से अवर न्यायालय नहीं करेगा.

अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना.

18. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे.

वारण्ट, गिरफ्तारी, तलाशी एवं जप्ती के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों का लागू होना.

19. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन जारी सभी वारंट एवं गिरफ्तारी, तलाशी और जप्ती पर लागू होंगे.

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति.

20. (1) किसी एसिड की अवस्था के अभिनिश्चयन या सांद्रता के परीक्षण के उद्देश्य से या व्यापार का स्थान, जहां एसिड का विक्रय किया जाता है, या इस अधिनियम में या इसके अधीन निर्मित किये गये नियम में उल्लिखित किसी अन्य उद्देश्य से, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, सहायता के साथ या सहायता के बिना अधिकार होगा कि वह उपयुक्त समय में—

(क) किसी दुकान या व्यापार के स्थान, जहां एसिड का संग्रहण किया जाता है एवं/या जहां विक्रय होता है, प्रवेश करे तथा निरीक्षण या एसिड की सांद्रता का परीक्षण करे;

(ख) ऐसे व्यापार से संबंधित किसी लेखा पुस्तिका, अभिलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे एवं ऐसे दस्तावेजों का उद्धरण या प्रतिलिपि प्राप्त करे या करवाए;

(ग) ऐसे व्यापार के स्थान में नियंत्रण रखने वाले या इसमें नियोजित किसी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछे एवं उसकी परीक्षा करे.

(2) अनुज्ञप्तिधारी तथा ऐसी दुकान या ऐसे व्यापार के स्थान में नियोजित सभी व्यक्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण एवं परीक्षण के लिये सभी युक्तियुक्त साधन या सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जैसा कि पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है और वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर देने, उसके आधिपत्य के दस्तावेज एवं व्यापार के ऐसे स्थान या खुदरा दुकान, जहां एसिड विक्रय किया जाता है, के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए आबद्ध होगा, जैसी कि आवश्यक हो.

इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों एवं व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

21. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी एवं प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत हैं, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

22. इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिये, राज्य शासन या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

शक्ति का प्रत्यायोजन.

23. राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि कोई शक्ति या कर्तव्य जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित किसी नियम द्वारा राज्य शासन को प्रदत्त या अधिरोपित, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किये गये हों, ऐसी परिस्थितियों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य शासन के अधीनस्थ कोई अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन करेंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी.

(2) विशेषतया एवं पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अन्तर्गत प्ररूप, अवधि जिसके लिये अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा उसकी शर्तें;

(ख) ऐसे अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने का प्ररूप एवं रीति, उसका शुल्क एवं उसका नवीनीकरण;

(ग) अन्य आधार, जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन करने पर धारा 10 के अधीन द्वारा अनुज्ञप्ति का निलंबन या निरस्तीकरण आवश्यक हो जायेगा;

(घ) प्ररुप एवं प्रक्रिया जिसके अधीन धारा 12 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी की जा सकेगी तथा उसका देय शुल्क;

(ङ) अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अपील/पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि एवं प्राधिकारी, जिसे क्रमशः धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत अपील/पुनरीक्षण किया जा सकेगा एवं ऐसे अपील/पुनरीक्षण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो.

(3) इस उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन निर्मित कोई नियम का उल्लंघन, इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दण्डनीय होता हो.

(4) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि सत्र जिसके पटल पर उसे रखा गया है उस सत्र के अथवा ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व रखा जायेगा, सदन यदि किसी प्रकार का नियम में उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा नियम, ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

25. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगी, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक 6563/डी. 234/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ गर्मिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2013)

THE CHHATTISGARH REGULATION, PROHIBITION, SALE AND USE OF ACID ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Sections

CHAPTER-II
RIGHTS AND DUTIES OF LICENSING AUTHORITY, MANUFACTURER, DEALER AND PURCHASER

CHAPTER-III
APPEAL AND REVISION

CHAPTER-IV
OFFENCES AND PENALTIES

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2013)

THE CHHATTISGARH REGULATION, PROHIBITION, SALE AND USE OF ACID ACT, 2013

An Act to provide for the regulation and control of the sale, supply and distribution of acids in the State of Chhattisgarh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called as the Chhattisgarh Regulation, Prohibition, Sale and Use of Acid Act, 2013. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— **Definitions**

(a) "acid" includes any substance which has acidic or corresive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability;

(b) "appelate authority" means an Officer or authority authorised by the State Government to hear appel under Section 13;

(c) "bulk quantity" means quantity as may be prescribed by the State Government;

(d) "dealer" means a person on the business of purchase or sale of acids, whether as a wholesaler or retailer or distributor and whether or not in conjunction with any other business and includes his agent;

(e) "distributor" means a distributor of acids or his agent or a stockist appointed by a manufacturer for stocking his acids for sale to a dealer;

(f) "government" means Government of Chhattisgarh ;

(g) "handling" means processing, treatment, packaging, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer of like acids ;

(h) "licensing authority" means a licensing authority appointed under clause (a) of Section 3;

(i) "manufacturer" means any person who manufacturers acid in the State of Chhattisgarh;

(j) "person-in-charge" means head of the institution, industry, company or firm and shall include every person who is in overall control of the day to day business of such organisation;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "purchaser" means a person who purchases acid directly from the manufacturer or dealer of acid and stores and utilizes the acid for use under clause (p) of this Section and shall include his representatives, employees, agent or any person whom acid is handed over for use;

(m) "retailer" means a dealer carrying on the retail business of sale of acids to customers;

(n) "sale" means any transfer of acid by one person to another, for cash or for credit or by way of exchange, by a wholesaler or retailer and includes an agreement for sale, an offer for sale and exposure for sale;

(o) "state" means State of Chhattisgarh;

(p) "use" means use in relation to acids, use of acid for clinical, educational, industrial purpose including use by goldsmiths, medical, research and scientific purposes;

(q) "wholesaler" means a daler or his agent or a stockist appointed by a manufacturer or an importer for the sale of his acids to a retailer, hospital, dispensary, medical, educational or reseach or any other institution purchasing bulk quantities of acids.

CHAPTER-II
RIGHTS AND DUTIES OF LICENSING AUTHORITY, MANUFACTURER, DEALER AND PURCHASER

Licensing Authority.

3. The State Government may, by notification in the Official Gazette,—

(a) appoint such persons, being Gazetted Officers of the State Government, as it thinks fit to be Licensing Authorities for the purposes of this Act; and

(b) define the limits within which a Licensing Authority shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, by or under this Act.

Restriction on use of acid.

4. No person shall use acid, as defined under this Act, for a purpose other than for clinical, educational, industrial including use by metal crafts and handicrafts, medical, research and scientific purposes.

Dealer and manufacturer of Acid to obtain licence.

5. No dealer or manufacturer of acid shall, after the expiry of six months from the date of commencement of this Act or from the date on which he first becomes dealer or manufacturer of acid, whichever is later, stock, store, transport, conduct or carry on the business of sale of the acid, except under and in accordance with a licence obtained by him under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Provided that any dealer or manufacturer having more than one retail shops dealing in acids, whether in the same town or village or in different towns or villages, he shall obtain a separate licence in respect of each such retail shops.

Application for grant and renewal of licence.

6. (1) Any dealer or manufacturer desiring to obtain a licence referred to in the last preceding Section shall make an application in writing to the Licensing Authority in such form and manner and accompanied by such licence fee as may be prescribed by the State Government from time to time.

(2) On the receipt of such application, the Licensing Authority shall make such inquiry as he considers necessary for the grant of licence and if the Licensing authority is satisfied,—

(a) that the dealer or manufacturer of acid is suitable for the proper and safe transportation, storage and handling of the acid in respect of which the licence has been applied for;

(b) that the applicant is competent to manage such shop dealing with business of acid;

(c) that the applicant has paid the prescribed licence fee;

(d) that the applicant fulfils or undertakes to fulfil such other conditions, as may be prescribed, from time to time by the State Government, being conditions for ensuring the proper and restricted sale of acid; and

(e) that he has not been convicted by any court of law and is of sound mind,

then, the Licensing Authority may grant the licence to the applicant after completion of inspection within one month from the date of application and in case Licensing Authority is not so satisfied, then after giving a reasonable opportunity to the applicant of being heard and after recording a brief statement of the reasons for refusal, he may refuse to grant the licence and furnish a copy of such statement to the applicant.

(3) Every licence granted under this Section shall be valid for the period, as may be prescribed by the Government, and may, on an application made to the Licensing Authority, be renewed from time to time by the Licensing Authority for such period and on payment of such fee and on such conditions, as may be prescribed by the State Government from to time and where the Licensing Authority refuses to renew a licence, he shall record a brief statement of the reasons for such refusal and furnish a copy thereof to the applicant :

Provided that no order refusing to renew a licence shall be made, unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.

Duties of the holder of licence.

7. Every holder of a licence under this Act shall—

(a) undertake to transport, store, handle and sell only such type of acids as specified in the licence;

(b) maintain a written record in the form as may be prescribed by the State Government.

(c) specify in a conspicuous manner an individual label on carton the scientific name, together with the local name, if any, of the acids at all times;

(d) maintain and submit returns or statement in such form and containing such information and within such time frame, as may be prescribed.

Duties of the purchaser.

8. Every purchaser of acid shall—

(a) purchase the acid only from the valid licence holder under this Act;

(b) not use the acid purchased other than for the purposes specified under Section 4 of this Act;

(c) maintain a record showing details of the quantity of acid received opening stock, daily consumption and closing stock; and

(d) keep a check on the storage and handling of the acid at regular intervals.

Duty of the person-in-charge. 9. Every person-in-charge of the industry or any institution purchasing acid under this Act shall be responsible for the utilization, storage and disposal of the acid and shall comply with the provisions of Section 8.

Power to cancel or suspend licences. 10. (1) The Licensing Authority may suspend or cancel any licence issued or renewed under this Act on any one or more of the following grounds, namely:—

(a) that he has parted, in whole or in part, with his control over the shop or has otherwise ceased to conduct the business or hold such acid;

(b) he fails to produce without any reasonable cause such license on demand of the any officer authorized by the Licensing Authority in this behalf;

(c) that he has failed to maintain the record as prescribed;

(d) he omits, without any reasonable cause, to maintain accounts or to submit any return in accordance with the provisions of this Act or any rule made thereunder;

(e) that he has, without reasonable cause, failed to comply with any of the terms and conditions of the licence or any directions lawfully given by the Licensing Authority or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(f) on any other grounds as may be prescribed.

(2) The Licensing Authority may suspend the licence as interim measure pending final order under sub-section (1).

(3) Before passing of a final order under sub-section (1), the Licensing Authority shall inform the licensee, of the grounds on which action against him is proposed and give him a reasonable opportunity of being heard.

(4) A copy of every order passed under sub-section (1) or (2) shall be communicated to the licensee forthwith and shall be affixed on outer door or some conspicuous part of the shop visible to the public.

Return of licence. 11. On the expiry of the period of validity specified in a licence or on receipt of an order suspending or cancelling a licence, the licensee shall return the licence to the Licensing Authority and he shall not deal with the transport, storage, handling and sale of acid thereafter :

Provided that such authority may, after such expiration, suspension or cancellation, give such reasonable time, not exceeding fifteen days, to the dealer or manufacturer in order to enable him to wind up his business in acids.

Duplicate licence. 12. If a licence issued to any dealer or manufacturer is lost, destroyed or damaged, the Licensing Authority shall, on receipt of application and fee, as may be prescribed, issue a duplicate licence.

CHAPTER-III
APPEAL AND REVISION

13. (1) Any person aggrieved by an order of a Licensing Authority refusing to grant or renew a licence or suspending or cancelling a licence, may appeal in such form and manner within such period to such Appellate Authority, as may be prescribed : **Appeal.**

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal on expiry of the prescribed period, if he is satisfied that there was sufficient cause for delay.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order on the appeal as he thinks fit.

14. (1) The State Government may on an application for Revision made to it by an aggrieved person against an order in appeal or suo moto against an order of the Licensing Authority or of Appellate Authority, call for and examine the record of such case and may pass such order thereon, as it thinks fit : **Revision.**

Provided that the State Government shall not exercise the power conferred on it by this section in respect of an order against which an appeal is pending :

Provided further that the State Government shall not pass any order under this section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) An order passed under sub-section (1) shall be final.

CHAPTER-IV
OFFENCES AND PENALTIES

15. (1) If any person contravenes any of the provisions of this Act or contravenes the provisions of any rule made thereunder, he shall be punished with imprisonment which may extend upto one year or with fine which may extend upto twenty five thousand rupees or with both ; **Offences and Penalties.**

Provided that any person previously convicted for an offence puniishable under this sub-section and subsequently convicted of an offence punishable under this sub-section, shall be punished with imprisonment, which may extend upto two years or with fine, which may extend upto fifty thouand rupees or with both.

(2) If any person obstructs any officer or person in the exercise of any powers conferred or in the performance of any duty imposed on him by or under this act, shall be punished with imprisonment, which may extend upto six months or with fine, which may extend upto twenty five thousand or with both.

16. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time of commission of such offence was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and be punished under Section 15: **Offences by Companies.**

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any member of the management or any employee of the company, such person (s) shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished under Section 15.

Explanation— For the purpose of this Section—

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm, sole-proprietorship or any association of individuals dealing with business of acids.

Jurisdiction of Court.

17. No court inferior to that of a Judicial Magistrate First Class, shall try any offence punishable under this Act.

Offences under Act to be cognizable and non-bailable.

18. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) offences punishable under this Act shall be cognizable and non-bailable.

Provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 to apply to warrants, arrests, searches and seizures.

19. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall apply, in so far as, they are not inconsistent with the provisions of this Act, to all warrants issued and arrests, searches and seizures made under this Act.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

Power of entry and inspection.

20. (1) For the purpose of ascertaining the position or examining the concentration of any acid or place of business where the acid are sold or for any other purpose mentioned in this Act or rules made thereunder, the Licensing Authority or any person authorized by him or by the State Government in this behalf, shall have the right at all reasonable hours and with or without assistants—

(a) to enter into any shop or place of business where the acids are stored and/or sold and to inspect or examine the concentration of the acid therein;

(b) to order the production of any account book, record or other document relating to such business and take or cause to be taken extracts from or copies of such a document(s);

(c) to ask all necessary questions and examine any person having control of or employed in connection with, such place of business.

(2) Licensee and all persons employed in connection with such shop or such place of business shall allow the Licensing Authority or person authorized by him or State Government, all reasonable access and offer facilities for such inspection and examination as may be required for the purposes aforesaid and shall be bound to answer all questions to the best of their knowledge and belief, to produce documents in their possession and to furnish such other information in relation to the retail shop or place of business where acids are sold as may be required by such authority or person.

21. All officers appointed under this Act and every person authorized to exercise any powers conferred or to perform any duties imposed on him by or under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860). **Officers and persons exercising power under this Act to be Public Servants.**

22. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder. **Protection of action taken in good faith.**

23. The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power or duty which by this Act or by any rule made thereunder is conferred or imposed on the State Government, except the power to make rules, shall in such circumstances and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notifications, be exercised or performed also by any officer or authority sub-ordinate to the State Government. **Power to delegate.**

24. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. **Power to make rules.**

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the form of licence, the period for which it shall be issued and the conditions subject thereto, as under Section 5;

(b) the form and manner of making an application for such licence, the fees and renewal thereof;

(c) the other grounds, the contravention of which by the licensee, shall entail suspension or cancellation of the licence under Section 10;

(d) the form and process under which a duplicate licence under Section 12 may be issued and the fee payable thereof;

(e) the process of filing an appeal/revision, the period of limitation for appeal/revision and the authority to which appeal/revision may be made under Section 13 and Section 14 respectively and the procedure to be followed in such appeal/revision;

(f) any other matter which is necessary for the implementation of this Act.

(3) Any rule made under this sub-section (1) and (2) may provide that a contravention thereof shall be punishable under Section 15 of this Act.

(4) Every rule made under this Section shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session for a, total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrres in making any modification in the rule or the House agrees that the rules should not be made, and notify such decission in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

Power to remove difficulties.

25. If any difficuly arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions which are not inconsistent with the provisions of this Act, as may be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of five years from the commencement of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.